

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 07/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2020

सा.का.नि. (अ). सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से एतद्वारा संशोधित करती है, यथा:-

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या, दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना संख्या 05/2015- सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 18 फरवरी, 2015  [सा.का.नि. 110(अ), दिनांक 18 फरवरी, 2015]	उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, अंकों और शब्द "15 अप्रैल, 2020" के स्थान पर अंकों और शब्द "14 अक्टूबर, 2020 " को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
2.	अधिसूचना संख्या 13/2015- सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 16 अप्रैल, 2015  [सा.का.नि. 293(अ), दिनांक 16 अप्रैल, 2015]	उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अन्तः स्थापित किया जाएगा:-  "3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 14 अक्टूबर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो, जारी रहेगा।"

(गौरव सिंह)  
उपसचिव, भारत सरकार

नोट:-

- (1) प्रधान अधिसूचना संख्या 05/2015-सीमाशुल्क(एडीडी), दिनांक 18 फरवरी, 2015 को सा.का.नि. 110(अ), दिनांक 18 फरवरी, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 04/2020-सीमाशुल्क(एडीडी), दिनांक 10 फरवरी, 2020, जिसे सा.का.नि. 99(अ), दिनांक 10 फरवरी, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया था।
- (2) प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2015-सीमाशुल्क(एडीडी), दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 293(अ), दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।